कौटिलीय अर्थशास्त्र में वर्णित समाज एवं धर्म

डॉ0 प्रदीप कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग।
एम.डी.पी.जी. कालेज प्रतापगढ़

प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान अग्रगण्य है। कौटिल्य को शासन कला एवं कूटनीति का महान प्रतिपादक माना जाता है। कौटिल्य की विचारधारा उनके गहन अध्ययन और चिन्तन का परिणाम थी। अर्थशास्त्र के विषय में स्वयं उनका विचार था कि "पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यो ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थों का निर्माण किया उन सभी का सार संकलन कर अर्थशास्त्र की रचना की गयी है।[1] कौटिल्य के समय में अर्थशास्त्र का स्वरूप अत्यन्त व्यापक था। इसके अन्तर्गत अर्थनीति, दण्डनीति, राजनीति, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, न्यायशास्त्र एवं युद्धशास्त्र आदि को शामिल किया जाता था। अमर कोष में अर्थ के लिए धन, वस्तु, प्रयोजन, निवृत्ति द्रव्य, वित्त, स्वापतेय, रिक्थ, वसु, हिरण्य, द्युम्न, विभव आदि शब्दों का उल्लेख आया है।[2] वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण एवं कर्म तीनो की संज्ञा अर्थ है। जैनमत के अनुसार सत्ता, सत्व (सत्य), द्रव्य, अन्वय, वस्त्र एवं विधि शब्द अर्थ के समान हैं। कौटिल्य स्वयं अर्थ की परिभाषा इस प्रकार करते है– मनुष्यों की वृत्ति को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम अर्थ है। जबकि शास्त्र शब्द का अर्थ समादेश, नियम, आज्ञा अथवा किसी विषय के क्रमबद्ध वर्णन से है। मानव के अर्थ सम्बन्धी प्रयासों का जिसमें विवेचन होता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार पृथ्वी के लाभ एवं पालन के लिए उपायों का विवेचन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है।[3] कौटिल्य की दृष्टि में राजनीति शास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र है। आन्वीक्षिकी (दर्शन), त्रयी (वेद) तथा वार्ता एवं न्यायशास्त्र आदि उसकी शाखाएँ है सम्पूर्ण समाज की रक्षा राजनीति या दण्ड व्यवस्था से होती है तथा रक्षित प्रजा ही अपने अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकती है।[4] आन्वीक्षिकी, त्रयी एवं वार्ता तीनो विधाओं का मूल दण्ड है।[5] प्राचीन ग्रन्थों में अर्थशास्त्र को दण्डनीति का पर्याय माना गया है।

कौटिलीय अर्थशास्त्र भारतीय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीति विचारों का प्रमुख ग्रन्थ है। इसमें शासन पद्धति, मंत्रिपरिषद, राजकीय प्रशासन, राजा–मंत्री, अधिकारियों के कर्त्तव्यों, ग्राम एवं नगर व्यवस्थाएँ, न्यायालय, सामाजिक स्थिति, राजवित्त, सैन्य पद्धति, कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था, उद्योग, व्यापार–वाणिज्य इत्यादि विषयों का विवेचन किया गया है। विषय सामग्री की दृष्टि से अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, युद्धशास्त्र आदि का समुच्चय माना जा सकता है। वस्तुतः कौटिलीय अर्थशास्त्र कल्याणकारी राज्य का दिग्दर्शन है। कौटिलीय अर्थशास्त्र

Scanned with CamScanner

पन्द्रह अधिकरणों में विभक्त है। प्रत्येक अधिकरण में अनेक प्रकरण है। प्रकरणों को अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस बहुआयामी कृति के सम्बन्ध में जर्मन विद्धान ब्रेलोरेन में लिखा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसे प्रतिभावान मस्तिष्क की उपज है जो न कभी लक्ष्य भ्रमित हो सकता है और न कभी विश्रृंखल ही। वस्तुतः यह ग्रन्थ राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक विचारधारा की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया गया है।

एक सुंसगठित विशाल राष्ट्र आचार्य कौटिल्य का मुख्य लक्ष्य था। इसके लिए उन्होंने समाज निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया। इस संदर्भ में उन्होने वेदशास्त्र को आधार मानकर प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। कौटिलीय अर्थशास्त्र में समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णो मे विभक्त किया गया है। कौटिल्य ने इस सामाजिक ढांचे की रक्षा को धर्म से जोड़ा है।[6] कौटिलीय अर्थशास्त्र में ब्राह्मण का धर्म अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना कराना, दान देना एवं ग्रहण करना तथा क्षत्रिय का धर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना शस्त्र बल से जीविकोपार्जन करना और प्राणियों की रक्षा करना, वैश्य का धर्म पढना, यज्ञ करना, दान देना, कृषि कार्य, पशुपालन तथा व्यापार करना तथा शूद्र का धर्म ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना, खेती, पशुपालन, व्यापार, शिल्प, गायन, वादन, चारण और भाट आदि का कार्य करना बताया गया है।[7] कौटिल्य ने चारो वर्णो के जो स्वधर्म प्रतिपादित किये हैं वे भारत की प्राचीन परम्परा और मर्यादा के अनुरूप है परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से विभिन्न वर्णो के लोग अन्य कार्यो का भी सम्पादन करते थे।

चार प्रमुख वर्णो के अतिरिक्त कौटिल्य ने अनेक वर्णसंकर लोगो का भी उल्लेख किया है यथा– अम्बष्ठ, निषाद, पाराशव, उग्र, मागध, वैदेहक, सूत, कूटक, वैण, चाण्डाल आदि। कौटिल्य ने इन सभी वर्णसंकर जातियां को ''शुद्र सधर्मा'' कहा है। वस्तुतः इनकी स्थिति शूद्रों के समकक्ष मानी जाती थी। इनके अतिरिक्त आचार्य कौटिल्य ने अवान्तर संकर जातियों का भी वर्णन किया है। ये अवान्तर संकर जातियाँ वर्ण संकरों के मूल से बनती थी इनके अन्तर्गत कुक्कुट पुल्कस, वैण, कुलीशव, श्वापक आदि जातियाँ आती थी।

वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रबल पोषक आचार्य चाणक्य ने तद्युगीन समाज की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं का अर्थशास्त्र में विशद् विवेचन किया है। समाज में धर्म, नैतिकता एवं सदाचार की स्थापना के लिए कौटिल्य ने कुप्रथाओं को समाप्त करके अनेक अच्छी व्यवस्थाओं को स्थान दिया। उन्होंने धर्म एवं समाज की विभिन्न परम्पराओं को सही रूप में प्रस्तुत किया। विवाह के संदर्भ में कौटिल्य ने आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है साथ पुनर्विवाह की स्वीकृति प्रदान की है। पति की मृत्यु के बाद स्त्री एवं स्त्री की मृत्यु के बाद पति चाहे तो दूसरा विवाह कर सकते हैं।[8] किसी नीच, प्रवासी, राजद्रोही, घातक, जाति तथा धर्म से च्युतः एवं नपुसंक पति से स्त्री विवाह विच्छेद कर सकती थी। कौटिल्य ने वेश्यावृत्ति का समर्थन करते हुए राज्य की ओर से उनकी व्यवस्था का उल्लेख किया है। उनके अनुसार वेश्यालयों की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी का कर्त्तव्य है कि रूप यौवन से सम्पन्न एवं गायन वादन में निपुण स्त्रियों को क्रय करके गणिका के कार्य पर नियुक्त करें।

Scanned with CamScanner

सौन्दर्य एवं शोभा के अनुपात से कौटिल्य ने वेश्याओं को तीन श्रेणियों में विभक्त कर उनका वेतन निर्धारित किया है – कनिष्ठ मध्यम एवं उत्तम। यौवन तथा सौन्दर्य के ढल जाने पर वेश्यायों को खाला (मातृका) के स्थान पर नियुक्त करने का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। वेश्यालयों की देखभाल के लिए ''गणिकाध्यक्ष'' की नियुक्ति की जाती थी।

कौटिल्य ने सुरापान को मान्यता देते हुए लिखा है कि– सुराध्यक्ष को दुर्ग, जनपद तथा छावनी आदि में सुरा के व्यापार का उचित प्रबन्ध करना चाहिए। अर्थशास्त्र में शराब के विभिन्न प्रकारों यथा– भेदक, प्रसन्न, आसव, अरिष्ठ, मैरेय, मधु का भी उल्लेख मिलता है तथा यह वर्णित है कि उत्सवों तथा तीर्थयात्रा के अवसर पर चार दिन तक शराब पीने की छूट थी।[9] कौटिल्य सुरापान की हानियों से भली–भॉती परिचित थे। उनके मत में सुरापान से व्यक्ति प्रमादी हो जाते है। इसीलिए उन्होंने सुरापान को नियंत्रित करने पर विशेष बल दिया है। कौटिल्य ने जुआ खेलने का भी समर्थन किया है क्योंकि जुआ राजकीय आमदनी का एक महत्वपूर्ण साधन था उनके अनुसार द्यूताध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि वह एक नियत स्थान पर द्यूत खेलने का प्रबन्ध करें एवं जुआघरों में साफ कौड़ी तथा पासों का प्रबन्ध करें। द्यूत में ठगी तथा धोखेबाजी करने वालो पर अनेक प्रकार के दण्डों का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है।[10] कौटिल्य ने पशुबध की निन्दा की है तथा पशुबध करने वालो को दण्ड देने का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार पशुओं में मृग, बछड़ा, साड़ और गाय इन्हे कभी नही मारना चाहिए। जो व्यक्ति इनमें से किसी का भी बध करे वह पचास पण का दण्ड भागी है। अन्य पशुओं की यातना देकर मारने वाले व्यक्तियों पर भी पचास पण का जुर्माना करना चाहिए।[11]

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऋण एवं सूदखोरी का विस्तार से विवेचन किया है। उन्होंने ब्याज पर ऋण लेने को बुराई नही माना है, लेकिन इस बात पर विशेष बल दिया है कि ब्याज दर उचित होनी चाहिए, अनुचित ब्याज पर ऋण देने वालों के लिए उन्होंने दण्ड देने का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार सामान्यतः सौ पण पर सवा पण ब्याज प्रतिमास दिया जाना चाहिए। यदि ऋण लेने वाले की मृत्यु हो जाय तो उसके वारिस को ऋण चुकाना होता था। दास प्रथा के बारे में कौटिल्य का मानना था कि केवल म्लेच्छ को ही दास बनाया जा सकता है, आर्यों को नही। कौटिल्य ने दासों के प्रकार, स्वामी–दास संबंध, दासों की मुक्ति तथा उनके दण्ड विधान आदि पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त समाज के महत्वपूर्ण अंग नट, नर्तक, गायक, वादक, चारण और मदारी आदि के मनोरंजनपूर्ण कार्यों आदि का भी उल्लेख हुआ है। जबकि समाज में श्रमिकों की महत्ता को देखते हुए कौटिल्य ने उनके कल्याण हेतु वेतन, पेंशन,[12] पदोन्नति[13], अवकाश[14] आदि की व्यवस्था का भी सविस्तार विवेचन किया है।

शिक्षा के सन्दर्भ में कौटिल्य का स्पष्ट अभिमत था कि समाज के विकास के लिए यह अनिवार्य है। अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा के प्रचार–प्रसार से प्रजा को प्रगतिशील और विनम्र बनाये।[15] उस युग में शिक्षा के विषयों में चार वेद, छः वेदांग, चार उपवेद, षड्दर्शन, चौदह विद्यायें, अट्ठारह पुराण एवं चौसठ कलायें शामिल थी। समाज को स्वस्थ बनाये रखने हेतु आचार्य कौटिल्य ने

Scanned with CamScanner

उत्तम चिकित्सा व्यवस्था का भी प्रावधान किया है। उन्होंने चिकित्सकों के लिए आचार संहिता भी बनायी है।[16] समाज में प्रचलित तदयुगीन खान–पान की व्यवस्था का भी निरूपण अर्थशास्त्र में मिलता है। भक्ष्य–अभक्ष्य पदार्थों, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों और भोजन बनाने की विभिन्न विधियों का वर्णन अर्थशास्त्र मे मिलता है।[17] इतना ही नही समाज में प्रचलित भूत–प्रेत, जादू–टोने आदि का भी वर्णन अर्थशास्त्र मे मिलता है।[18] इससे यह प्रतीत होता है कि उस काल की जनता को इनमे विश्वास था। ज्योतिषियों को वार्षिक वेतन के आधार पर राजकीय सेवा में रखने का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में मिलता है। जिन्हें कौटिल्य ने कार्तान्तिक, नैमित्तिक एवं मौहूर्तिक कहा है।[19]

अर्थशास्त्र में धर्म पर कोई स्वतंत्र अध्याय नही है। धर्म के संबंध में कौटिल्य के विचार अर्थशास्त्र में यत्र–तत्र उपलब्ध होते है। कौटिल्य ने भारत के प्राचीन धर्म को ''त्रयी धर्म'' कहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद की संज्ञा 'त्रयी' थी।[20] और इसमें प्रतिपादित धर्म ही त्रयी धर्म था। जो सभी वर्णो एवं आश्रमों के लोगों को अपने–अपने स्वधर्म में स्थिर रखता था।[21] अर्थशास्त्र में तदयुगीन अनेकों ऐसे धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है जो वैदिक या त्रयी धर्म से भिन्न थे। कौटिल्य ने इन्हे ''वृषल'' और ''पाखण्ड'' कहा है। अर्थशास्त्र में इनके केवल शाक्य एवं आजीवक सम्प्रदायों का उल्लेख है। कौटिल्य ने वेद विरोधी होने के बाद भी पाखण्डों के महत्व को स्वीकार किया है। वैदिक धर्म में यज्ञीय कर्मकाण्ड की विशेष महत्ता थी इसलिए कौटिल्य ने नगर में एक यज्ञशाला का होना आवश्यक बताया है।[22] यज्ञ कराने हेतु ''ऋत्विक'' होते थे। दैनिक यज्ञों के अलावा राजसूय आदि यज्ञों का भी आयोजन होता था।[23] यज्ञीय कर्मकांडों के समान संस्कार भी वैदिक धर्म के महत्वपूर्ण अंग थे। कौटिल्य ने यद्यपि परम्परागत सोलह संस्कारो का अविकल रूप से प्रतिपादन नही किया है, परन्तु मुण्डन, उपनयन, और विवाह आदि संस्कारों का उल्लेख किया है।[24]

मौर्यकाल तक वैदिक धर्म में मूर्तिपूजा ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। कौटिल्य ने देव मंदिर के लिए देवतागृह[25], देवगृह[26] और दैवतचैत्य[27] शब्दों का तथा प्रतिष्ठित मूर्तियो के लिए चैत्यदेवता[28] दैवत प्रतिमा[29] देवतादेह[30] शब्दों का प्रयोग किया है। विविध देवों के अपने अपने ध्वज भी होते थे।[31] अर्थशास्त्र में शिव, वैष्णव, श्री अश्विन, जयन्त और मंदिरा आदि देवों की प्रतिमाओं का उल्लेख आया है। देश देवता, नगर देवता तथा कुल देवता आदि का भी वर्णन अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। मंदिरों की देखभाल के लिए राज्य की ओर से पृथक अमात्य की नियुक्ति होती थी जिसे देवताध्यक्ष कहते थे जो मंदिरो की सम्पत्ति की व्यवस्था करता था।[32] मंदिरो में देवदासी प्रथा का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है। इस काल में गाय को पवित्र मानकर उनकी पूजा प्रदक्षिणा और उनका दर्शन करना धार्मिक अनुष्ठान का अंग बन गया था।

इस प्रकार कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि तद्युगीन सामाजिक व्यवस्था में वेश्यावृत्ति, मद्यपान, जुआ, ऋण, सूदखोरी और दास प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयाँ विद्यमान होने के बावजूद कौटिल्य ने इनका समर्थन कर उस काल में दूरदर्शिता एवं व्यवहारिकता का परिचय दिया है। कुछ दशाओं में समाज को पतन से बचाने के लिए इन बुराइयों को

Scanned with CamScanner

एक सीमा तक छूट देना आवश्यक हो जाता है। विधवा विवाह और सम्बन्ध विच्छेद के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार समाज में नारी के सम्मान को बढ़ाने वाले है। वास्तव में कौटिल्य ने तद्युगीन सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण एवं व्यवस्थाओं का समुचित चित्रण किया है एवं उनको व्यवस्थित एवं निर्वाध रूप से चलने हेतु अनेक नियमों एवं उपनियमों का भी विधान किया है। जहाँ उन्होने समाज में व्याप्त कतिपय बुराइयों को एक सीमा तक स्वीकारा वहीं दूसरी ओर उस पर नियमों एवं उपनियमों से अंकुश लगाने का भी प्रयास किया जिससे सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रहें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 कौटिलीयम् अर्थशास्त्र 1.4
2 कौटिलीयम् अर्थशास्त्र 1.1
3 मनुष्याणां वृत्तिरर्थ : मनुष्यवतिभूमिरित्यर्थः तस्याः पृथिव्यः लाभपालनोपायः शास्त्रमथेशास्त्रमिति। कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम् 15–1
4 पूर्ववत् 1.4
5 पूर्ववत् 1.5
6 कौटिल्य कालीन भारत, आचार्य दीपंकर, पृ0179.
7 कौटिलीयम् अर्थशास्त्र, 1:3
8 कौटिलीयम् अर्थशास्त्र, 3:2
9 पूर्ववत् अर्थशास्त्र, 3:13
10 पूर्ववत् अर्थशास्त्र, 2:25
11 कौटिलीयम् अर्थशास्त्र, 3:20
12 पूर्ववत् – 3:13
13 पूर्ववत् – 2.27, 2
14 पूर्ववत् – 5.3
15 पूर्ववत् – 1.7
16 पूर्ववत् – 4.3
17 पूर्ववत् – 2.4, 13, 15
18 पूर्ववत् – 4.3 4.4 5.2
19 पूर्ववत् – 5.3
20 पूर्ववत् – 4.4 44–51
21 पूर्ववत् – 3.26
22 पूर्ववत् – 5.3
23 पूर्ववत् – 1.4
24 पूर्ववत् – 12.5
25 पूर्ववत् – 2.36
26 पूर्ववत् – 5.2
27 पूर्ववत् – 1.20
28 पूर्ववत् – 11.1
29 पूर्ववत् – 4.13
30 कौटिलीयम् अर्थशास्त्र –12.5
31 पूर्ववत् –2.23
32 पूर्ववत् –1.19

Scanned with CamScanner